अध्याय XX : युवा मामला एवं खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

20.1 चिकित्सकीय बिलों का फर्जी आहरण

कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिसे भुगतान के लिए बिलों की जॉच करने तथा सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उसने अपने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सकीय बिल पारित किए थे।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 21 (iii) निर्धारित करता है कि किसी भी प्राधिकरण को अपने व्यय को अनुमोदित करने की शक्तियों का उपयोग ऐसे आदेश को पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए, जिससे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें लाभ हो। क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहटी, भारतीय खेल प्राधिकरण के कनिष्ठ लेखा अधिकारी (क.ले.अ.) के पास जून 2007 से केन्द्र के लेखापरीक्षा/लेखा विभाग का प्रभार था तथा वह भुगतान हेतु बिलों को जांचने एवं सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि क.ले.अ. ने अपनी आश्रित माँ के इलाज पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य में ₹11.10 लाख की राशि के तीन चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए थे। चिकित्सा दावे में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार, उनकी मॉ का दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012 के बीच, अस्पताल आई.डी.सं. ए-9146 के अंतर्गत डॉ भुवनेश्वर बुरूह कैंसर संस्थान, गुवाहटी में तीन बार इंडोर इलाज करवाना पड़ा। भु.बु.कैं.सं., गुवाहटी निवासी शल्य चिकित्सक ने चिकित्सा उपचार के सभी बिलों तथा वाउचरों को प्रतिहस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया था। क.ले.अ. ने स्वयं अपनी चिकित्सा बिलों को सत्यापित किया था तथा जून 2012 एवं अगस्त 2012 के बीच निदेशक भा.खे.प्रा., गुवाहटी द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात ₹11.10 लाख का कुल भुगतान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने क.ले.अ. द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों में विसंगतियां पायी गई थी। जनवरी 2012 एवं फरवरी 2012 में पुस्तिका सं. 99 के अंतर्गत जारी किए गए पहले दो डिस्चार्ज बिलों पर एक के बाद एक अर्थात् 4808 तथा 4809 संख्या डाली हुई थी, जबकि दोनों डिस्चार्ज तिथियों के बीच 40 दिनों का अंतर था। क.ले.अ. की माँ का दूसरी बार डिस्चार्ज होने के सात दिनों पश्चात फिर से भु.बु.कै.सं. में भर्ती हुई (मार्च 2012) तथा तत्पश्चात् अप्रैल 2012 में डिस्चार्ज हुई; तीसरी बार डिस्चार्ज होने पर बिल में क्रम संख्या पुस्तक सं. 99 के अंतर्गत 4801 थी।

दावों की यर्थाथता का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने भु.बु.कै.सं. का दौरा किया। भु.बु.कैं.सं. ने निम्नलिखित अभ्युक्तियां दी:

- भु.बु.कै.सं. के अभिलेखों के अनुसार, दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के दौरान किसी भी मरीज की भर्ती नहीं हुई थी;
- अस्पताल आई.डी.सं.ए-9146 वर्ष 2005 में मौ. अब्दुल कासिम नामक मरीज को जारी किया गया था;
- भु.बु.कै.सं. में निवासी शल्य चिकित्सक का पद नहीं था; तथा
- बिल पुस्तक सं. 99 के अंतर्गत बिल संख्या 4801, 4808 तथा 4809 भु.बु.कै.सं. द्वारा जारी नहीं किए थे।

इस प्रकार, संबंधित क.ले.अ. जिन्हें बिलों की जांच एवं सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उन्होंने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सा बिल पारित किए थे।

क्षेत्रीय केन्द्र, भा.खे.प्रा., गुवाहटी ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2013)। भा.खे.प्रा. ने आगे बताया कि संबंधित क.ले.अ. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई थी।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2014)।